राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक :एफ.वी.4(5)निगो/प्लान/ब.घो./गो.वि.यो./2018/ दिनांक :

संशोधित परिपत्र

गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि से राज्य के गौशालाओं में स्थायी आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **लाभांवित होने वाली संस्थाओं की पात्रता :–**
   - i. ऐसी गौशालाऐं जिनके पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त लीज (न्यूनतम 20 वर्ष) की भूमि उपलब्ध हो।
   - ii. गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु कम से कम 100 गौवंश का विगत दो वर्ष की अवधि से लगातार संधारण किया जा रहा हो,
   - iii. ऐसी गौशालाऐं जिनके विरूद्ध कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
   - iv. जो गौशालाएं आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु स्वयं के संसाधन विकसित करने हेतु उत्सुक हो।
   - v. Computer पर online सूचना आदान प्रदान करने हेतु जो गौशालाऐं तैयार हो।
   - vi. गौशालाओं में योजनान्तर्गत चाही गयी आधारभूत परिसम्पतियों का पूर्व में निर्माण नही होना चाहिऐ। परन्तु गौशालाओं में गौवंश संख्या के आधार पर आधारभूत परिसम्पतियां कम पड़ रही हो, तो आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य करवाने के लिए गौशाला पात्र होगी।
   - vii. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 या तत्समय प्रर्वत विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाएं।
   - viii. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।

2. **संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया :–**
   - i. जिन संस्थाओं में पूर्व में किसी भी स्त्रोत से राजकीय अनुदान/सहायता प्राप्त नही की है, को प्राथमिकता दी जायेगी।
   - ii. ऐसी संस्थाऐं जो आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ नही है, को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
   - iii. ऐसी संस्थाऐं जो गौवंश सह–उत्पाद के निर्माण व विक्रय के माध्यम से स्वावलम्बी बनने की वचनबद्धता प्रदर्शित करती है, को प्राथमिकता दी जायेगी।
   - iv. यदि निदेशालय को लाभान्वित होने वाली संस्थाओं के अत्याधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण हेतु मदवार दी जाने वाली सहायता को विभक्त कर अधिक से अधिक संस्थाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि एक संस्था ने पानी की खेली, चारा खेली, खरन्जा निर्माण, चारागृह निर्माण सहित 04 मद के लिए सहायता चाही है, तो अधिक आवेदन प्राप्ति की स्थिति में संस्था को किन्ही दो या तीन मद में सहायता स्वीकृत कर शेष अन्य संस्थाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। श

3. **सहायता राशि की शर्तें :–**
   - i. गोपालन विभाग द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत गौशाला को स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण हेतु सहायता दी जायेगी।
   - ii. **विभाग द्वारा गौशालाओं को 90 प्रतिशत सहायता राशि दी जायेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि गौशालाओं द्वारा स्वयं के स्तर से वहन की जायेगी।**

iii. **गौशाला प्रबन्धन द्वारा कार्यकारी संस्था का चयन कर तथा उसकी सहमति प्राप्त करने के उपरान्त 10 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी संस्था के खाते में जमा करवकार इसकी प्रति निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत करनी होगी अथवा गौशाला द्वारा वहन की जाने वाली 10 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य करवाकर उसका प्रमाणन/मूल्यांकन संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी से करवाकर निदेशालय गोपालन में प्रस्तुत करनी होगी।**

iv. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

v. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 7(V) के अंतर्गत निषिद्ध किये गये कार्यों पर निधि की राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।

vi. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।

vii. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गौशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

viii. गौशाला में संधारित गौवंश की संख्या का सत्यापन निर्धारित **प्रपत्र–"1"** में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कराया जा सकता है।

4. <u>योजना के अन्तर्गत स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण कार्य</u> :–

- शेड या गौ–आवास निर्माण।
- चारा भण्डार गृह।
- पानी की खेली निर्माण।
- चारा ठांण निर्माण।
- पानी की टंकी/टांका निर्माण।
- बाड़े/शेड़ के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का)।
- गोपालक आवासगृह का निर्माण।

5. <u>योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी</u> :–

आधारभूत संरचनाओं का निर्माण पात्र गौशालाओं निमांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था के माध्यम से करवाया जा सकता है :–

- ग्राम पंचायत।
- पंचायत समिति।
- कृषि विपणन बोर्ड।
- राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम।
- स्वच्छ परियोजना।
- शहरी निकाय संस्थाऐं – नगर पालिका/ नगर परिषद

6. <u>आवेदन एवं स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया</u>:–

i. गौशाला को कौनसा निर्माण कार्य कराना है यह गौशाला प्रबन्धन द्वारा स्वयं ही आवश्यकता के आधार पर तय किया जाकर कार्य का प्रस्ताव व कार्यकारी संस्था जिसके माध्यम से निर्माण कार्य करवाया जाना है, का चुनाव कर, संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किये जाने का सहमति पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर एवं निर्माण का तकमीना संबंधित कार्यकारी संस्था के कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता से तैयार करवाकर व मय स्वयं के स्वामित्व की भूमि की

जमाबन्दी के साथ जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर को निर्धारित आवेदन प्रपत्र व शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

ii. आवेदित गौशाला को आवेदन प्रपत्र, सादे कागज पर अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र, स्वयं की भूमि की जमाबन्दी की प्रति, प्रस्तावित निर्माण कार्य का तकमीना एवं निर्माण कार्य करने वाली कार्यकारी संस्था का निर्माण हेतु सहमति पत्र सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर निदेशालय गोपालन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में गौशालाओं के आवेदन को अपूर्ण मानते हुए विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

iii. निदेशालय गोपालन द्वारा अनुमोदित गौवंश के लिए शैड, गोपालक आवास गृह, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, पानी की खेली, चारे की ठांण, बाड़े में खरन्जा निर्माण का तकमीना प्रारूप व अधिकतम स्वीकृत दर **परिशिष्ट – 3** पर उल्लेखित है।

iv. योजनान्तर्गत गोपालक आवास गृह, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, पानी की खेली, चारे की ठांण, बाड़े में खरन्जा निर्माण एक से अधिक भी स्वीकृत किया जा सकता है।

v. लाभार्थी गौशाला द्वारा इस योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन निदेशालय गोपालन को केवल एक बार ही प्रस्तुत किये जा सकेगे। राज्य की अधिकतम गौशालाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजनान्तर्गत यदि गौशाला द्वारा सहायता प्राप्त कर ली जाती हैं तो उक्त गौशाला के अन्य निर्माण कार्य हेतु द्वितीय आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

vi. निदेशालय गोपालन द्वारा जिले के समस्त प्रस्तावों को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा। गौशालाओं में किये जाने वाले आधारभूत परिसम्पति के निर्माण कार्य की प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन पश्चात गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।

vii. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पात्र गौशाला में किये जाने वाले निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) जारी की जायेगी, जिसके आधार पर गोपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पतियों का निर्माण हेतु संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

viii. योजनान्तर्गत एक गौशाला को निर्माण कार्य हेतु अधिकतम 10 लाख रूपये सहायता राशि स्वीकृत की जा सकती है।

ix. यदि गौशाला प्रबन्धन तय सीमा के अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो कार्य को चिन्हित कर गौवंश की संख्या के आधार पर निर्धारित अधिकतम प्रावधित राशि की सीमा से अधिक राशि का वहन स्वयं को करना होगा तथा अनुमत कार्यों का तकमीना एवं ड्राईंग कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता से तैयार करवाकर निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत करना होगा।

x. इस योजना के साथ गौशालाएं अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेगी परन्तु एक ही निर्माण पर दो जगहों से वित्तीय स्वीकृति एवं राशि किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

xi. योजना में यथासंभव ऐसे कार्य लिये जावेंगे जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये।

xii. जिला स्तरीय गोपालन समिति तथा गोपालन निदेशालय द्वारा नामित लेखा परीक्षण दल या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत राजकीय संस्थान गौशाला के लेखो एवं वित्तीय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण एवं ऑडिट करा सकेगी।

xiii. योजनान्तर्गत निर्माण करने वाली संबंधित कार्यकारी संस्था के सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता एवं क्षेत्र के विकास अधिकारी द्वारा समय–समय पर गौशालाओं में किये जा रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निदेशालय गोपालन को भी प्रस्तुत की जावेगी।